

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/12-07/2018 27 पटना, दिनांक- 18.03.2019.

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रीय योजनागत योजना क्षेत्रफल एवं उत्पाद का द्रुत सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत ₹ 19,99,419/- (उन्नीस लाख निनान्वे हजार चार सौ दस रूपये) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

- उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-354/वि० दिनांक-28.03.18 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2018 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक-28.03.2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2018 पर दिनांक-06.12.2018 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
2. भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) नई दिल्ली के Ministry's O.M No. G. 30011/8/2016-EA Dated 15th May 2018 द्वारा मुख्य शीर्ष-3454- के उपशीर्ष 0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण योजना शीर्ष में ₹16.66 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु पुनर्वैधिकृत किया गया एवं Ministry's O.M No. G. 20011/1/2018-EA Dated 14th December, 2018 द्वारा तृतीय किस्त के रूप में ₹5,00,000 तथा Ministry's O.M No. G. 20011/1/2018-EA Dated 14th March, 2018 द्वारा उक्त शीर्ष के अन्तर्गत चतुर्थ किस्त के रूप में ₹20,00,000/-विमुक्त की गई है।
 3. कंडिका 2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विमुक्त की गई राशि की सीमा तक राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।
 4. तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
 5. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उपशीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण योजना शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।
 6. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 3 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी होंगे, जो संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे।

7. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन CTMIS की सत्यापित प्रति के साथ अनुवर्ती माह के 05वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

विश्वासभाजन

बजट सहा. प्रशाखा पदा. उप निदेशक (प्र.) संयुक्त नि. (प्र.) निदेशक

अर्थ एवं सां. निदेशालय

ज्ञापांक- 27 /पटना, दिनांक- 18.03.2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 27 /पटना, दिनांक- 18.03.2019

प्रतिलिपि:- 1. कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद, किशनगंज एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 27 /पटना, दिनांक- 18.03.2019

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (कृषि) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु प्रेषित।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करने एवं निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करने/कराने हेतु प्रेषित।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, समूह शीर्ष केन्द्रीय योजनागत योजना, 204 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0408-क्षेत्रफल एवं उत्पादन का दूर सर्वेक्षण शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040408 है।

क्रमांक	कार्यालय का नाम	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जिला सांख्यिकी कार्यालय											
1	जहानाबाद	469000	42210	37520	0	5000	0	553730	0	0	553730
2	किशानगंज	593100	72583	45896	5000	8000		724579	20000	0	744579
3	सीतामढ़ी	543600	73510	44000	0	9000		670110	31000	0	701110
कुल योग:-		1605700	188303	127416	5000	22000	0	1948419	51000	0	1999419

(उन्नीस लाख नानावे हजार चार सौ उन्नीस) रुपये मात्र।

बजट सहायक

प्रशा० पदा०

उप निदेश (विभा)

संनिदेश (प०)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक